

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड

नि:शुल्क

जिला.....

आवेदक का फोटो

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु आवेदन-पत्र

जिला / नगरपालिका / ग्राम:-

1. आवेदक का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. जाति
4. जन्म तिथि / आयु
5. निवास स्थान का पूरा पता
6. श्रेणी—महिला / पुरुष / विकलांग
7. शैक्षणिक योग्यता
8. समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय
9. बीपीएल में चयन क्रमांक व वर्ष

आप जिस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उसे टिक करें

1. दुधारू गाय व बैंस वितरण योजना
2. बकरा पालन
3. सूकर पालन
4. बैक्यार्ड लेयर कुवकुट पालन
5. बायलर कुवकुट पालन
6. बतख चूजा पालन
7. चैफ कट्टर वितरण योजना
8. पशुधन योजना के तहत शेडनिर्माण सहायता

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही है एवं सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है एवं कोई भी तथ्य मिथ्या नहीं है। मैं अनुजा निगम की किसी भी योजना में पूर्व में लाभान्वित नहीं हुआ हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- आवेदक पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें:-

- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
- विधवा प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
- बैंक खाता पासबुक